

Regarding setting up of a tribunal for displaced persons affected by Bokaro Steel Plant-laid

श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी (गिरिडीह) : बोकारो इस्पात कारखाना 1964 में शुरू किया गया और पहले यह सेल की एक सहायक कम्पनी और बाद में सार्वजनिक क्षेत्र लोहा और इस्पात कम्पनियां (पुनर्गठन एवं विविध प्रावधान) अधिनियम 1978 के अंतर्गत एक यूनिट बनाई गई। यह कारखाना देश के पहले स्वदेशी इस्पात कारखाने के नाम से विख्यात है। 2022-23 में सेल (SAIL) के कुल मुनाफा का 45% बोकारो स्टील लिमिटेड से आया। बोकारो स्टील प्लांट (बीएसएल) को सौंपी गई भूमि में 26908.565 एकड़ अधिग्रहित भूमि, 3600.215 एकड़ गैर मजरुआ भूमि और 778.46 एकड़ वन भूमि शामिल है। वहाँ के स्थानीय लोगों की ज़मीन पर प्रोजेक्ट चालू कर लोगों को विस्थापित कर दिया गया। और सही विस्थापित नीति नहीं होने के कारण आज भी झारखंड के स्थानीय लोग विस्थापन का दंश झेल रहा है। सीएसआर फंड के माध्यम से होने वाले काम भी अन्यत्र भेजे जा रहे हैं। स्थानीय लोग आज भी गरीब हैं और बुनियादी सुविधाओं के लिए आज भी तरस रहे हैं। जबसे मैं यहाँ का सांसद बना तबसे लगातार विस्थापितों के समस्याओं को देख रहा हूँ और माननीय इस्पात मंत्री जी से मेरा यही आग्रह है कि विस्थापितों के हक़ और अधिकार के लिए, उनकी हितों की रक्षा के लिए विस्थापित ट्रिब्यूनल बनाया जाए।